राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी- 452/बीपीएड/2001/ 1594

दिनांक : 13.07.2001

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एण्ड सोसल साइंस , सुल्तानपुर-228118, उत्तर प्रदेश ने बीपीएड पाठ्यक्रम सत्र
2001-2002 से प्रारंभ करने की मान्यता हेतु प्रेषित किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 29.11.2000 को प्राप्त हुआ ।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संस्था को सत्र 2000-2001 से अपने पत्र दिनांक 06.01.2000 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी)
जारी किया था । संस्था के प्रस्तावित बीपीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 28 फरवरी, 2001 एवं 1 मार्च,
2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय
समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे । उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से
विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियाँ है
तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी)
के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए ।

1. परिषद् मानदंडानुसार शैक्षिक स्टॉफ एवं सहायक स्टॉफ (Supporting Staff) की कमी है ।
2. हॉस्टल की कमी है ।
3. 400 पुस्तकें एवं 5 शैक्षिक जरनल की कमी है ।
4. हैल्थ एजूकेशन लैब एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन लैब के उपकरणों की कमी है ।
5. स्वतंत्र शैक्षिक तकनीकी की लैब की कमी है ।
6. खेल सामग्री परिषद मानदंडानुसार होने की कमी है ।
7. विकसित खेल मैदान की कमी है ।
8. आरक्षित निधि 2.00 लाख रुपये एवं सुरक्षित निधि में 3.00 लाख रुपये की कमी है ।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-457/2001/926 दिनांक 21.5.2001
लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 11.6.2001 के द्वारा दिया गया था ।
संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी
विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में
रखे गए । समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि **कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजीकल एण्ड सोसल साइंस,
सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश** के प्रस्तावित बीपीएड पाठ्यक्रम की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया
जाए ।

1. चयनित व्याख्याताओं की योग्यताओं की पुष्टि की कमी है ।
2. चयनित व्याख्याताओं को क्या वेतन दिया जायेगा के उल्लेख की कमी है ।
3. चयन समिति के विधिवत गठन एवं उसके माध्यम से चयन की कमी है ।
4. सहायक स्टॉफ के सभी पदों का विधिवत गठित चयन समिति से चयन की कमी है तथा उनके वेतनमान निर्धारण एवं उनके दिए जाने की कमी है ।
5. हॉस्टल की कमी है ।
6. 400 पुस्तकें एवं 5 शैक्षिक जरनल की कमी है ।
7. हैल्थ एजूकेशन लैब के उपकरणों की कमी है ।

C:\My Documents\Bansal.doc C:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org